पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक विविध सं. 20143

थाना मामला सं.-9 वर्ष-2014 थाना - भोजपुर शिकायत मामला जिला - भोजपुर से उत्पन्न

==========

श्री विनोद जैन @विनोद मोहन लाल जैन, पिता- मोहन लाल जैन, निवासी 3/3/एफ विंग, सुभाष हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बंदुकवाला कम्पाउंड, ग्राउंड फ्लोर, सवानी रोड, दादर, थाना-दादर वेस्ट, मुंबई-25, महाराष्ट्र।

....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. बीरेंद्र गुप्ता, स्वर्गीय सदन गुप्ता के पुत्र, गाँव-कोइलवाड़, थाना-कोइलवाड़, जिला - भोजपुर आरा।

.... विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री उदय शंकर चौधरी, अधिवक्ता
श्री आदर्श, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बी. राम, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406 और 420—संज्ञान आदेश को निरस्त करना—याचिकाकर्ता ने अपने को मुंबई के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों का एजेंट दिखाया और शिकायतकर्ता के बेटे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराने का वादा किया और उसे भर्ती के लिए पैसे जुटाने के लिए कहा—वादा एक अन्य राज्य (मुंबई) में किया गया—भर्ती के लिए पैसे एक अन्य राज्य (बिहार) में अग्रिम दिए गए —याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद, शिकायतकर्ता ने निचली अदालत में अपनी उपस्थिति छोड़ दी—माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिकायतकर्ता के पते की सत्यापन के संबंध में एक जाँच की गई और यह झूठा पाया गया—याचिका खारिज करने का आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने वाले आदेश को खारिज किया गया और मामले को निचली अदालत में वापस भेजा गया—मजिस्ट्रेट को छह महीनों के भीतर लेकिन उससे अधिक नहीं संज्ञान के

बिंदु पर एक नया आदेश पारित करना चाहिए—याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान के मुद्दे पर आदेश पारित करने तक जाँच के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश नहीं दिया जाएगा और संज्ञान के मुद्दे पर आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 223 के तहत—याचिका उपरोक्त निर्देशों के साथ अनुमति दी गई ।

(पैराग्राफ 5 से 9)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

14 21-03-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री उदय शंकर चौधरी और राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री बी. राम को सुना।

2. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') के तहत दायर की गई है, जिसमें शिकायत मामला संख्या 09/2014 में रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरा, भोजपुर द्वारा पारित दिनांकित 20.11.2014 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री उदय शंकर चौधरी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता महाराष्ट्र राज्य का निवासी है, जिसका बिहार राज्य से कोई संबंध नहीं है और शिकायतकर्ता और उसका बेटा

याचिकाकर्ता के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। वास्तव में, याचिकाकर्ता मुंबई में एक आर. टी. आई. कार्यकर्ता है और कई व्यक्तियों के खिलाफ प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में शामिल रहा है जिनके द्वारा गलतियां और अनियमितता की गई या किए जाने का संदेह है और मुंबई में एक बिल्डर ने आर. टी. आई. अधिनियम के तहत इस याचिकाकर्ता की गतिविधि से व्यथित होने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार राज्य के कई जिलों में उसके मजदूरों की मिलीभगत से कई मामले दर्ज कराए हैं। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा सुनाई गई अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और विश्वसनीय नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथित अपराधों का संज्ञान लेने के बाद, शिकायतकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति छोड़ दी और शिकायतकर्ता का उद्देश्य केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी कराकर और बिहार राज्य में उपस्थिति दर्ज कराकर उसे डराने के लिए और उसके बाद उससे पैसे वसूल कर याचिकाकर्ता को परेशान करना था। इस मामले में, शिकायतकर्ता, जो यहाँ ओ.पी. नंबर 2 है, को शिकायत में उल्लिखित पते पर कई नोटिस भेजे गए, लेकिन सभी प्रक्रियाएँ बिना सेवा किए वापस लौट गईं और फिर याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता पूर्णतः फर्जी और काल्पनिक व्यक्ति है और तब इस न्यायालय के निर्देश पर शिकायतकर्ता के वर्तमान निवास पते की पुष्टि के लिए पुलिस उपाधीक्षक, सदर, आरा द्वारा जांच की गई और इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी गई और वह इस न्यायालय के समक्ष केस रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, आरा ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता

द्वारा अपनी शिकायत में दर्शाए गए पते के संबंध में स्थानीय व्यक्तियों, स्थानीय चौकीदारों एवं वार्ड पार्षदों से पूछताछ की गई तथा उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जैसा कोई व्यक्ति न तो निवास करता है और न ही शिकायतकर्ता के पते से संबंधित क्षेत्र में कोई निवासी है, जो अपने आप में शिकायतकर्ता की मंशा को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जांच के दौरान केवल शिकायतकर्ता और उसका पुत्र ही उपस्थित हुए और अपने बयान दर्ज कराए तथा उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तथा कथित राशि के भुगतान के सबूत के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया तथा शिकायत में शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र को एकमात्र गवाह बताया तथा आरोप के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता और उसके पुत्र से शिकायतकर्ता के पुत्र को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए अलग-अलग तिथियों पर 2,00,000/- रुपए की राशि ली गई, लेकिन इस आरोप के संबंध में शिकायतकर्ता और उसके पुत्र के बयान के अलावा कुछ भी नहीं है तथा इसके अलावा, संबंधित समय पर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए शिकायतकर्ता के पुत्र की योग्यता दर्शाने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी श्री बी. राम ने दलील दी कि यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में दिखाया गया पता पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान झूठा पाया गया था, लेकिन इसे इस निरस्तीकरण आवेदन में इस स्तर पर शिकायतकर्ता के आरोप पर अविश्वास करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है और संबंधित जांच अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त बचावों के आलोक में और अधिक साक्ष्य लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

5. दोनों पक्षों को सुना और आरोपित आदेश, ओ.पी. संख्या 2 और उनके एस.ए. की शिकायत याचिका और शिकायतकर्ता के बेटे, एकमात्र जांच गवाह के बयान का अवलोकन किया। आरोप के अनुसार, याचिकाकर्ता ने खुद को मुंबई के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों का एजेंट बताया और शिकायतकर्ता के बेटे को एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा किया और दाखिले के लिए 2,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने को कहा और ये घटनाक्रम मुंबई में हुआ और उसके बाद याचिकाकर्ता अचानक पटना (बिहार) आया और फिर उसे शिकायतकर्ता के बेटे ने आरा जिले में स्थित अपने आवास पर बुलाया और इस दौरान, शिकायतकर्ता के बेटे द्वारा आरा रेलवे स्टेशन पर 1,00,000/- रुपये नकद और शिकायतकर्ता के बेटे के संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियां याचिकाकर्ता को सौंपी गईं। इसके बाद, आरोप के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा मुंबई गया, जहां याचिकाकर्ता ने एडमिशन के नाम पर फिर से 1,00,000 रुपये ले लिए और विभिन्न बहानों पर अधिक से अधिक पैसे की मांग करने लगा। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद, शिकायतकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति छोड़ दी और एसडीपीओ के रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में दिखाए गए पते के सत्यापन के संबंध में जांच की, जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता दिए गए पते का निवासी नहीं था और यह जांच इस न्यायालय के निर्देश पर की गई थी। यद्यपि उक्त जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, किन्तु केवल इस कारण से शिकायतकर्ता के आरोप पर पूर्णतः अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए तथा याचिकाकर्ता इस स्तर पर सभी आपराधिक दायित्वों से पूर्णतः मुक्त

होने का हकदार नहीं है तथा न्याय का हित तभी पूरा होगा जब धोखाधड़ी के कथित अपराध के प्रथम दृष्टया घटित होने का पता लगाने के लिए शिकायतकर्ता से कुछ और अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाएं। तदनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पारित आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मामले को इस निर्देश के साथ ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाता है कि वह शिकायतकर्ता से कुछ और अतिरिक्त साक्ष्य ले जैसे कि वह स्रोत जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता ने वह धनराशि जुटाई जो कथित रूप से याचिकाकर्ता को दी गई थी, शिकायतकर्ता के पुत्र की इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने की योग्यता दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेज इत्यादि तथा जांच में इन साक्ष्यों को लेने की प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

6. विद्वत मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को इस आदेश से अवगत कराने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाएगा और इस संबंध में, प्रारंभिक जांच में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील शिकायतकर्ता को सूचित कर सकते है कि क्या वह अभी भी उनके संपर्क में है, वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता के वर्तमान निवास पते के बारे में प्रासंगिक जानकारी उनसे प्राप्त की जा सकती है या इस आदेश के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने के लिए विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य वैध उपाय किए जा सकते हैं।

7. विद्वान मजिस्ट्रेट छह महीने के भीतर संज्ञान के बिंदु पर एक नया आदेश पारित करेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं। यदि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है, या कोई और साक्ष्य नहीं देना चाहता है या यदि शिकायतकर्ता को इस आदेश

से अवगत कराने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तो इनमें से किसी भी परिस्थिति की उपस्थिति में, विद्वान मजिस्ट्रेट आवश्यक अनुमान लगाएगा और योग्यता के अनुसार इस आदेश के साथ पूर्वाग्रह के बिना एक उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

8. याचिकाकर्ता को विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान के बिंदु पर आदेश पारित करने की तिथि तक जांच के दौरान याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश नहीं दिया जाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बी.एन.एस.एस.') की धारा 223 के तहत प्रावधान के प्रकाश में संज्ञान के बिंदु पर आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर उसके वकील के माध्यम से दिया जाएगा, यदि वह ऐसा चाहता है तो।

9. तदनुसार, उपरोक्त निर्देशों के साथ वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।